संख्या-2/2016/2295/38-3-2015-26(अधि0)/2012

प्रेषक,

राम बहादुर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक- 01 जनवरी, 2016

विषय:- प्रदेश के 42 जिला विकास कार्यालयों में सृजित 42 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के अस्थायी पदों का स्थायीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय ग्राम्य विकास अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-855/38-3-2006-2पीएस/2001, दिनांक 12 जुलाई, 2006 द्वारा प्रदेश के 42 जनपदों यथा मेरठ, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, मथुरा, झांसी, जालौन, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कानपुर देहात, इटावा, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, खीरी, रायबरेली, गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज, बस्ती, फैजाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर, बहराइच, गोण्डा, आजमगढ़, बलिया में सृजित किये गये 42 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के अस्थायी पदों को तात्कालिक प्रभाव से स्थाई पदों में परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते, जो उन्हें अनुमन्य हों, भी देय होंगे।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अस्थायी पदों के तात्कालिक प्रभाव से स्थाई पदों में परिवर्तित हो जाने के फलस्वरूप शासनादेश संख्या-1557/38-3-2014-26(अधि0)/2012, दिनांक 12 अगस्त, 2014 को, जिसमें इन पदों को वर्ष 2015 में दिनांक 28 फरवरी तक अस्थाई रूप से चलते रहने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा कि उक्त पद की निरंतरता केवल दिनांक 28 फरवरी, 2015 तक के लिए ही दी गयी गयी थी।

4- उपर्युक्त पद पर होने वाला व्यय आय-व्ययक अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक 2515 के अन्तर्गत् सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

5- प्रमाणित किया जाता है कि इन पदों का स्थाईकरण कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-2-797/दस-87-24(12)-86, दिनांक 25 मई, 1987 में निहित सभी शर्तों की पूर्ति के बाद किया जा रहा है।

भवदीय,

(राम बहादुर)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-2/2016/2295(1)/38-3-2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
4. वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-1
5. वित्त (लेखा) अनुभाग-2
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।